मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

विषयः—दिनांक 01.01.2014 की स्थिति में सहायक यंत्री (वि./यॉ.) द्वितीय श्रेणी से कार्यपालन यंत्री (वि./यां.) प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.10.2014 का कार्यवाही विवरण ।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :—

1.	प्रो.एस.पी.गौतम सदस्य म.प्र लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
2.	श्री राधेश्याम जुलानिया प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग	सदस्य
3.	श्री एम.जी. चौबे प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग विभाग	सदस्य
4.	श्री एन.के. परिहार अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य (म.प्र.लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के नियम—11 के प्रावधान अनुसार

1. प्राधिकार एवं सिद्धांत :—

यह चयन मध्यप्रदेश अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (अराजपत्रित) भरती नियम, 1968 सहपठित मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम—2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। यह पदोन्नतियां वरिष्ठता—सह—योग्यता के सिद्धांत पर आधारित है।

2. न्यायालयीन स्थगनः—

इस चयन के संबंध में कोई न्यायालीयन स्थगन नहीं है।

3. वरिष्ठता एवं पदकम सूचीः—

दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में जारी पदकम सूची को पदोन्नति का आधार बनाया गया हैं। इस वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन के संबंध में कोई न्यायायलीन स्थगन अथवा ऐसा कोई निर्देश नहीं है, जिसके पालन के अभाव में बैठक किया जाना युक्तियुक्त न हो।

29.10.14

4. विचार क्षेत्रः—

मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के नियम—6 के अनुसार वरिष्ठता—सह—उपयुक्तता पर आधारित पदोन्नतियों के संबंध में कोई विचार क्षेत्र नहीं रखते हुए वरिष्ठता कम के अनुसार अर्हता प्राप्त अधिकारियों के नाम उस सरल कमांक तक देखे गए, जिस कमांक तक उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध हो गए।

5. संनिष्ठा प्रमाण पत्रः—

विचार क्षेत्र में सम्मिलित अधिकारियों की संनिष्ठा उनके गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा प्रमाणित की गई है।

6. अर्हकारी सेवा :—

पदोन्नति के लिए उन्हीं अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया, जिन्होंने विभाग के भरती नियमों के अनुसार सहायक यंत्री (वि./यॉ.) के पद पर दिनांक 01.01.2014 तक 06 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है और सहायक यंत्री (वि./यॉ.) के रूप में सम्पूर्ण सेवाकाल में कम से कम एक वर्ष का अनुभव रूपांकन, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य में रखते हैं।

7. पदोन्नति की कसौटियां तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम—2002 के संदर्भ में वर्गीकरण :—

(अ) न्यूनतम कसौटीः—

1. संनिष्ठा संदेह से परे एवं संनिष्ठा प्रमाणित हो।
2. 05 वर्षों (2009—2013) के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन समग्र रूप से अच्छी श्रेणी का हो।

(ब) गोपनीय रिकार्ड का समग्र वर्गीकरणः—

1. 05 वर्षों (3/2009—3/2013) का समग्र मूल्यांकन "अच्छी" श्रेणी का होना चाहिए।
2. जिन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है उन मामलों में विचार के लिए पूर्व के 02 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन देखकर समिति द्वारा विचार किया गया है।
3. यदि गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले अधिकारी द्वारा लिखित भाषा किन्हीं से अस्पष्ट हो, तो संबंधित अधिकारी के समग्र रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने अस्पष्ट प्रतिवेदनों का युक्तियुक्त मूल्यांकन किया तथा आवश्यकतानुसार मूल्यांकन को संशोधित किया गया।

29.10.14

4. यदि किसी गोपनीय चरित्रावली में ऐसी गोपनीय रिपोर्ट हो, जो प्रतिकूल हो, किन्तु रिपार्ट प्राप्ति के एक माह के भीतर संसूचित न की गई हो या यदि संसूचित की गई हो, तो प्राप्त अभ्यावेदन का निपटारा शासन द्वारा निर्धारित समयावधि यानि अभ्यावेदन प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर न किया गया हो, तो उनके प्रतिकूल अंश को विचार में न लेते हुए ऐसी रिपोर्ट को मूल्यांकित किया गया। जहां अभ्यावेदन देने/उसे निराकृत करने के लिए समयावधि शेष है, वहां ऐसे अधिकारी का नाम अंश अभ्यावेदन के निराकरण के फलस्वरूप बना रहेगा या हट जाएगा, यह जानकारी न होने से रिकार्ड का मूल्यांकन संभव नहीं था।

8. जो अधिकारी निलंबित थे तथा जिन अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति पर थी या अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर चालान प्रस्तुत कर दिया गया था, उन अधिकारियों के संबंध में विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण से अप्रभावित रहते हुए पदोन्नति की उपयुक्तता जांची गई और सिफारिशों को सीलबंद लिफाफे में रखने की प्रकिया अपनाई जाएगी।

9. रिक्तियों की गणना :–

दिनांक 01.01.2014 की स्थिति में रिक्तियों की उपलब्धता निम्नानुसार हैं :–

1.	अनारक्षित	07
2.	अनुसूचित जाति	00
3.	अनुसूचित जनजाति	01
कुल रिक्तियां		08

10. पूर्व बैठकः–

पिछली पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 02.07.2013 को सम्पन्न हुई थी। जिसमें उपयुक्त पाए गए सभी अधिकारियों को पदोन्नत किया जा चुका है।

11. चयनित सूची :–

कंडिका–7 में निर्धारित किए गए मापदण्ड के आधार पर समिति ने निम्नांकित अधिकारियों को पदोन्नति हेतु योग्य पायाः–

29.10.14

(i) चयन सूची

स.क्र.	दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में प्रकाशित पदक्रम सूची का वरिष्ठता क्रमांक	नाम
1	27	श्री दिलीप कुमार कोष्टा (अनारक्षित)
2	28	अनिल कुमार ताम्रकार (अनारक्षित)
3	30	श्री संतोष सिंह चौहान (अजजा)

(ii) प्रतीक्षा सूची एवं बंद लिफाफा – निरंक

(ii) अनुपयुक्त सूची

स. क्र.	दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में प्रकाशित पदक्रम सूची का वरिष्ठता क्रमांक	नाम	कारण
1	20	श्री मनोज कुमार मुकेश (अजा)	वर्ष 2012 की विपरीत टीका संसूचित होने के कारण
2	25	श्री राजेन्द्र कुमार गजभिये (अजा)	वर्ष 2011 की विपरीत टीका संसूचित होने के कारण
3	31	श्री विवेक टिक्कस (अजजा)	वर्ष 2011 की विपरीत टीका संसूचित होने के कारण

26.10.14
(प्रो.एस.पी.गौतम)
सदस्य
लोक सेवा आयोग
अध्यक्ष

29.10.14
(राधेश्याम जुलानिया)
प्रमुख सचिव
जल संसाधन विभाग
सदस्य

29.10.14
(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
सदस्य

(एन.के. परिहार)
अधीक्षण यंत्री (प्र.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
सदस्य